

**प्रेस नोट**  
**थाना मोठ, जनपद झांसी**

**दिनांक 13.08.2026**

- जनपद झांसी पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्रवाई,
- थाना मोठ पुलिस द्वारा वारण्टी गिरफ्तार,।
- वारण्टी को माननीय न्यायालय के समक्ष किया गया पेश किया गया।

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ एवं श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक, झांसी परिक्षेत्र, झांसी श्री आकाश कुलहरि के मार्गदर्शन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झांसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झांसी में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध झांसी पुलिस द्वारा चलाए जा रहे प्रभावी अभियान के क्रम में दिनांक 12.08.2026 को थाना मोठ पुलिस द्वारा NBW केस नं० 173/2023 अ०सं० 71/22 धारा 363,366,376(3), 368, 342 , 323, 427, 506, आईपीसी , ¾ पॉक्सो एक्ट 3(2) (VA) 3(2) (V) SC/ST ACT थाना मोठ जिला झांसी से सम्बन्धित वारण्टी रतन सिंह उर्फ विक्की पुत्र भगवत प्रसाद नि० आमखेरा थाना मोठ जिला झांसी उम्र 22 वर्ष को गिरफ्तार कर मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

**गिरफ्तार वारण्टी का विवरण:-**

1. रतन सिंह उर्फ विक्की पुत्र भगवत प्रसाद नि० आमखेरा थाना मोठ जिला झांसी उम्र 22 वर्ष

**गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-**

उ०नि० कम्बोद सिंह थाना मोठ जनपद झांसी।